RNI No. MAHBIL /2009/31730
Reg No. MCS/170/2016-18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ३, अंक ४] बुधवार, फेब्रुवारी १५, २०१७/माघ २६, शके १९३८ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ५

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

ग्रामविकास तथा जल संरक्षण विभाग

बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई ४०० ०३२,
दिनांकित ३१ जनवरी, २०१७।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. V OF 2017.

AN ORDINANCE

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYATS ACT AND MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ५, सन् २०१७।

महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम और महाराष्ट्र जिला परिषद तथा पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अध्यादेश ।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हे इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम और महाराष्ट्र जिला परिषद तथा पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ;

सन् १९५९ का ३ ।
सन् १९६२ का महा. ५।

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभण।

१. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र ग्रामपंचायत और महाराष्ट्र जिला परिषद तथा पंचायत समिति (संशोधन) अध्यादेश, २०१७ कहलाए।

(२) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

सन् १९५९ का ३ की धारा १४ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा १४ की, उप-धारा (१) के, खण्ड (ञ-५) में, **" ग्राम सभा के "** शब्दों के पश्चात्, " या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसके द्वारा पदाभिहित किसी अधिकारी के ; या के स्व-प्रमाणपत्र से " शब्द निविष्ट किए जायेंगे। सन् १९५९ का ३।

सन् १९६२ का महा. ५ की धारा १६ में संशोधन ।

३. महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६२ की धारा १६ की, उप-धारा (१) के, खण्ड (त) में **" ग्राम सभा के "** शब्दों के पश्चात्, " या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसके द्वारा पदाभिहित किसी अधिकारी के ; या के स्व-प्रमाणपत्र से " शब्द निविष्ट किए जायेंगे। सन् १९६२ का महा. ५।

वक्तव्य

महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम (सन् १९५९ का ३) की धारा १४ की उप-धारा (१) का खण्ड (ञ-५), यह उपबंध करता हैं कि, कोई भी व्यक्ति,—

(एक) वह अपने स्वयं के आवास में निवास करता है और ऐसे आवास में शौचालय है और वह नियमित रुप से ऐसे शौचालय का उपयोग करता है ; या

(दो) वह अपने स्वयं के आवास में निवास नहीं करता है और ऐसे आवास में शौचालय है और वह नियमित रुप से इसका उपयोग करता है या ऐसे आवास में शौचालय नहीं है, किंतु नियमित रुप से सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करता है, ऐसा प्रमाणित करनेवाले **ग्राम सभा** के संकल्प के साथ संबंधित **पंचायत** का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल होता है, पंचायत का निरंतर सदस्य नहीं होगा।

इस प्रकार चुने जाने या पार्षद बनने के लिये निरर्ह किये जाने वाले व्यक्ति के संबंध में समान उपबंध महाराष्ट्र जिला परिषद तथा पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ (सन् १९६२ का महा. ५) की धारा १६ की उप-धारा (१) के खण्ड (त) में उपबंधित किये गये हैं ;

२. महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा ७ यह उपबंध करती है कि, प्रत्येक वित्तिय वर्ष में **ग्राम सभा** की कम से कम चार बैठकें होंगी । अधिकांश ग्राम पंचायतों में ऐसी **ग्राम सभाएँ** चालू वित्तीय वर्ष में पहले से ही ली गई हैं । ऐसे में, ग्राम पंचायत और जिला परिषद और पंचायत समिति के निर्वाचनों में भाग लेने में इच्छुक उम्मीदवारो को संबंधित **पंचायत** से ऐसे प्रमाणपत्र प्राप्त करने में कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। इसलिये, ऐसा प्रमाणपत्र, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसके पदाभिहित अधिकारी या ऐसे व्यक्ती द्वारा स्वयं-प्रमाणपत्र दिया जा सकेगा, का उपबंध करने की दृष्टि से भी महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा १४ की उप-धारा (१) का खण्ड (ञ-५), और महाराष्ट्र जिला परिषद तथा पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ की धारा १६ की उप-धारा (१) का खण्ड (त) में, संशोधन करना इष्टकर समझा गया है। राज्य में, विभिन्न **पंचायतों** और जिला परिषदों तथा पंचायत समितियों के होनेवाले निर्वाचनो को ध्यान में रखते हुये उक्त अधिनियमों में सद्य संशोधन करना इष्टकर समझा गया हैं।

३. **क्योंकि** राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हे, उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम (सन् १९५९ का ३) और महाराष्ट्र जिला परिषद तथा पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ (सन् १९६२ का महा. ५) में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अतः यह अध्यादेश प्रख्यपित किया जाता है।

मुंबई,
दिनांकित ३१ जनवरी, २०१७।

चे. विद्यासागर राव,
महाराष्ट्र के राज्यपाल।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

असीम गुप्ता,
सरकार के सचिव।

(यथार्थ अनुवाद)
डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.